रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2005/चैत्र 30, 1927
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2005/CHAITRA 30, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2005

सं. 2 (आर. ई.-05)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/16 पार्ट एफ. (1)/ए.एम. 05/पीसी. IV—निर्यातकों को अधिक सुविधाएं देने हेतु एक उपाय के रूप में विभिन्न आयात लाइसेंसों के संबंध में वैधता अवधि दिनांक 31-8-2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 में बढ़ा दी गई थी। विभिन्न निर्यातकों/व्यापार संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 1-4-2004 से 31-8-2004 तक की अवधि के दौरान जारी आयात लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों/अनुमति पत्रों/सीसीपी आदि के लिए इसी वैधता अवधि की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के पैरा 2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार 1.4.2004 से 31.8.2004 की अवधि के दौरान जारी किए गए आयात लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों/अनुमति पत्रों/ सीसीपी आदि की वैधता अवधि को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित करते हैं :

i) नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न एवं आभूषण के लिए अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस सहित), डी एफ आर सी और प्रतिपूर्ति लाइसेंस	24 महीने
ii) ईपीसीजी लाइसेंस (हिस्से पुर्जों के अलावा)	36 महीने
iii) हिस्से पुर्जों, रिप्रेक्टरीज़, उत्प्रेरकों और उपभोज्यों के लिए ईपीसीजी लाइसेंस	ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व अवधि के साथ समाप्ति

iv) सीसीपी और शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम सहित अन्य जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो	24 महीने
v) मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस सहित)	24 महीने अथवा परियोजना के क्रियान्वयन की संविदा अवधि के साथ समाप्ति, इनमें से जो भी बाद में हो

जो लाइसेंस धारक, ऊपर यथा उल्लिखित वैधता अवधि को बढ़ाने की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लाइसेंस पर पृष्ठांकन करने के लिए, अपने लाइसेंस प्रस्तुत कर सकते हैं ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th April, 2005

No. 2(RE-05)/2004—2009

F. No. 01/94/180/16 Pt. F(1)/AM 05/PC-IV.—As a measure of greater facilitation for exporters the validity period in respect of various import licenses was extended in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 announced on 31-8-2004. A number of representations have been received from various exporters/trade associations requesting for allowing the same validity period for the import licenses/certificates/permission/ CCP etc. issued during the period 1-4-2004 to 31-8-2004.

In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-09, the Director General of Foreign Trade hereby amends the validity period of import licenses/certificates/permission/CCP etc. issued during the period w.e.f. 1.4.2004 to 31.8.2004 as indicated below:

(i)	Advance Licence (including Advance Licence for Annual Requirement), DFRC and Replenishment licence for Gem & Jewellery as per Chapter- 4 of the Policy	24 months
(ii)	EPCG licence (other than spares)	36 months
(iii)	EPCG Licence for Spares, refractories, catalyst and consumables	Co-terminus with the Export Obligation Period of the EPCG Licence.
(iv)	Others including CCP and Duty Entitlement Passbook Scheme, unless otherwise specified	24 months

(v)	Advance Licence for deemed export (including Advance Licence for Annual Requirement)	24 months or Co-terminus with the contracted duration of execution of the project whichever is later.

The licence holders, desiring to avail the benefit of extension in the validity period, as indicated above, may present their licenses to the concerned licensing authorities for getting an endorsement made on the body of the licence to that effect.

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.